

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) शिक्षा विभाग,
जोधपुर**

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्राक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 एवं शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प. 17(2) शिक्षा-2 /2003 जयपुर, दिनांक: 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 24.05.2017 के क्रम में संलग्न सूची में अंकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत लेवलवार एवं विषयवार पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श शिविर में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त करें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को तत्काल ही कार्यग्रहण हेतु कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

—sd—
(हनुमान सहाय गुर्जर)
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक:- जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था-स/तृ.श्रे.अ.समायोजन/2017/665 दिनांक: 03/06/17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, जोधपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, जोधपुर/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जोधपुर।
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(हनुमान सहाय गुर्जर)
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक:- जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था-स/तृ.श्रे.अ.समायोजन/2017/665

दिनांक: 03/06/17

अध्यापक लेवल 02:- संस्कृत

आदेश संख्या 01

क्रस	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन/ समायोजित स्थान	विशेष विवरण
1	मोहनलाल गोदारा	रामावि जाजीवाल जाखडा	रामावि बाडाकलां पीपाडशहर	दिव्यांग
2	सुशीला यादव	राउमावि केतुकला	रामावि जिनजिनयालाकलां बालेसर	
3	नन्दा शर्मा	राउमावि होपास्डी	राउमावि मोखेरी फलोदी	
4	अनोपाराम विश्णोई	राउमावि सामराउ	राउमावि थोब ओसियां	
5	लूणाराम	राउमावि चौरडिया देचु	रामावि केतुविश्नाईयां केतुमदा सेखाला	
6	सुरेश कुमार	राउमावि देचु	राउमावि ननेउ फलोदी	

(हनुमान प्रहाय गुर्जर)

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यामिक-प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) शिक्षा विभाग,
जोधपुर**

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्राक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 एवं शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प. 17(2) शिक्षा-2 /2003 जयपुर, दिनांक: 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 24.05.2017 के क्रम में संलग्न सूची में अंकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत लेवलवार एवं विषयवार पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श शिविर में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त करें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को तत्काल ही कार्यग्रहण हेतु कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

— Sd —

(हनुमान सहाय गुर्जर)

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यामिक-प्रथम)

शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक:- जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था-स/तृ.श्रे.अ.समायोजन/2017/666

दिनांक: 03/06/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, जोधपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, जोधपुर/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जोधपुर।
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(हनुमान सहाय गुर्जर)

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यामिक-प्रथम)

शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक:- जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था-स/तृ.श्रे.अ.समायोजन/2017/666

दिनांक: 03/06/17

शारिरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III

आदेश संख्या 02

क्रस	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन/ समायोजित स्थान	विशेश विवरण
1	सुशीला चौधरी	राउमावि खांगटा	रामावि मण्डोर न01 जोधपुर	
2	नरपत राम	राउमावि साथिन	रामावि नान्दडी मण्डोर	

(हनुमान सहाय गुर्जर)

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यामिक-प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर